फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

बंशीधर बनाम ग्राम पंचायत कूकस

केस संख्या : 382/08

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	2/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप०। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/5/2025 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	7/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप०। वास्ते आदेश दिनांक 16/5/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	16/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप०। तनकीह संख्या 1 ता 3 वादी के विरुद्ध निर्णित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। जिसका निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. ज.

नियमित वाद संख्या – 382/2008

बंशीधर पुत्र लादू जाति अहीर, निवासी ग्राम खारिया तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——— वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत दुर्गा का बास, जरिये सचिव ग्राम पंचायत दुर्गा का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर।

——— प्रतिवादीगण

<u>दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थिति :–</u>

1. श्री के. आर. शर्मा– अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.05.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 218 रकबा 65 बीघा 14 बिस्वा इस वाद में विवादित है। विवादित आराजी वादी के पुश्तैनी कब्जेशुदा है, जिसके 1/3 हिस्से पर अर्थात 21 बीघा 18 बिस्वा पर संवत् 1993 से पूर्व वादी के दादा स्वर्गीय श्री सेडू बल्द नन्दा बहैसियत चकदार काबिज रहे तथा लगान निजामत में अदा करते रहे। तत्पश्चात वादी के दादा सेडू के फोत हो जाने के पर वादी के पिता व वादी के पिता [illegible] पुत्र सेडू उक्त विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर अर्थात 21 [illegible] बिस्वा पर काबिज हो काश्त कर रहे। वादी के पिता लादू के फोत हो जाने पर वादी तथा वादी के पिता का भाई बक्सा पुत्र सेडू ने उक्त कब्जेशुदा भूमि को बांट लिया तथा उसके 1/3 हिस्से के आधे आधे अर्थात् 1/2–1/6 हिस्से पर निर्बाध रूप से काबिज हो लगातार काश्त करते आ रहे हैं। इस प्रकार वादी के ठिकाने के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:12 IST
Reason: SelfAttested

समय से उक्त विवादित भूमि के 1/6 हिस्से पर अर्थात् 10 बीघा 19 बिस्वा पर पुश्तैनी रूप से काबिज हो रबी व खरीफ की फसल करता चला आ रहा है तथा उससे समस्त लाभ अर्जित करता चला आ रहा है। वादी ने वर्तमान में मौके पर अपनी जौ व गैंहू की फसल के साथ विवादित आराजी के उक्त 10 बीघा 19 बिस्वा भाग पर निर्बाध रूप से काबिज है। तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वार गलती से उक्त विवादित भूमि के उक्त हिस्से खातेदारी अधिकारों का इंद्राज नहीं किया जा सका। उक्त विवादित भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेशों के बिना चरागाह दर्ज फरमा दिया गया, जबकि उक्त विवादित भूमि कभी भी चरागाह के रूप में काम नहीं आई। प्रतिवादी संख्या 2 विवादित भूमि के 1/6 हिस्से से वादी को बेदखल कर देना चाहता है। इस उद्देश्य से वह आये दिन अपने कर्मचारियों को विवादित भूमि के मौके पर भेजता है, दिनांक 22.09.1995 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 वादी को विवादित भूमि के 1/6 हिस्से को कब्जा नहीं छोडने जाने की स्थिति में गिरफ्तार करने की तथा जबरन कब्जा करने की धमकी दी तथा गिरफ्तार कर लिया, वादी विवादित भूमि के उक्त 1/6 हिस्से पर पुश्तेनी रूप से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रभावी होने से पूर्व से काबिज हो उस पर काश्त करता चहा आ रहा है। विवादित भूमि के संबंध में राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिया गया चारागाह का इन्द्राज गलत है जो निरस्त किये जाने योग्य है इस प्रकार वादी विवादित भूमि के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है इन अल्टरनेटली वादी उक्त विवादित भूमि के 1/6 हिस्से पर 60 वर्षो से अधिक समय से निर्बाध रूप से तथा पुश्तैनी रूप से कब्जा चहा आ रहा है उक्त विवादित भूमि पर कब्जा मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) उत्पन्न हो गया है, अतः ऐसे भी वह खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:12 IST
Reason: SelfAttested

वाद [illegible] के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया। प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कि ग्राम खपरिया के आराजी खसरा नम्बर 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687,

688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 711 कुल किता 26 रकबा 23.32 हैक्टेयर की खातेदारी हाल जमाबंदी खाता संख्या 162 में चारागाह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा नम्बर 704 रकबा 0.05 हैक्टेयर की खातेदारी घीसाराम पिता नंदाराम वगै. के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा संलग्न मिलान क्षेत्रफल से साबित खसरा नम्बर 214, 216, 217, 218 बने है। उपरोक्त वर्णित भूमि चारागाह है तथा राजहित समाहित है अतः वाद खारिज किया जावे। तहसीलदार आमेर जयपुर के द्वारा दिनांक 23.10.1996 को जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि मद नंबर 2 में वर्णित खसरा नंबर 218 रकबा 65 बीघा 14 बिस्वा का पूर्व खसरा नंबर 195 रकबा 65 बीघा 14 बिस्वा मिलान क्षेत्रफल, मिसल बंदोबस्त संख्या 2004 से 2023 के अनुसार होना स्वीकार है। यह भी स्वीकार है कि संवत 1993 लगायत 2002 रजिस्टर चकबंदी निजामत के अनुसार सेडू वल्द नंदा जाति अहीर सा. देह खसरा नंबर 194/2, 195/2, 196/1 68 बीघा 18 बिस्वा के हिस्से 1/3 के चकदार के रूप में दर्ज है तथा यह भी स्वीकार है कि वादी सेडू वल्द नंदा का पौत्र है किंतु यह स्वीकार नहीं है कि वादी के दादा निजामत के समय सरकारी लगान इस भूमि बाबत ही जमा कराते आ रहे तथा लगातार काबिज रहे है। यह भी स्वीकार नहीं है कि वादी प्रार्थी व वादी का चाचा, वादी के पिता व दादा की मृत्यु के पश्चात निर्बाध रूप से काबिज रह कर काश्त करते रहे हैं। निजामत के पश्चात सन् 1956 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू होने के कारण इसकी धारा 91 के अंतर्गत वादी को व उसके चाचा को अतिक्रमी मान कर बेदखल किया जाता रहा है। उक्त भूमि के चरागाह के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही नियमानुसार ही की गई। चरागाह के रूप में इंद्राज अधिकारियों की गलती के कारण नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि का हिस्सा 1/36 अर्थात [illegible] 19 बिस्वा भूमि पर वादी पुश्तैनी तौर पर काबिज चला आ रहा है [illegible] वादग्रस्त हिस्सा वादी का ही है वह चरागाह नहीं है। वादी वादग्रस्त भूमि के 1/36 हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हैं उसे चरागाह कहना [illegible] है। वादग्रस्त भूमि कभी भी चरागाह के काम नहीं आई है ऐसे में वादी को बेदखल किया जाना अनुचित है उक्त आराजीयात के वादी के नाम कर देने बाबत् भी इस ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व मे प्रस्ताव किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश होने पर नियमानुसार विवाद्यक तनकीयात कायम की गई।

(1) आया मौजा ग्राम खपरिया तह० आमेर के खसरा नं0 218 रकबा 65 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादीके पुश्तैनी कब्जा काश्त की होकर उसमें वादी का 1/3 हिस्सा अर्थात् 21 बीघा 18 बिस्वा पर लगातार संवत 1993 से आदिनांक तक काबिज होकर विधिवत रूप से लगान अदा कर रहे है।

.....जिम्मेवादी

(2) आया विवादग्रस्त आराजीयात को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से चरागाह दर्ज किया गया जिसे दुरूस्त करवाने तथा खातेदारी घोषित करवाने का वादी कानूनी अधिकारी है।

.....जिम्मेवादी

(3) आया वादी एडवर्स पंजेशन के आधार पर विवादित भूमि को खातेदारी भूमि घोषित कराने का अधिकारी है।

.....जिम्मेवादी

(4) आया वादी विवाद ग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रर्मी काबिज होने से उसके विरूद्ध राज लैण्ड रिवेन्यु एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई जिसे अमल में लाने हेतु प्रतिवादी सं० 3 तहसीलदार आमेर कानूनी रूप से अधिकृत है।

.....जिम्मेप्रतिवादी सं० 3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

(5) आया विवादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज है तथा चरागाह भूमि पर खातेदारी राजस्व नियमो के अन्तर्गत प्रदान नही की जा सकती है।

.....जिम्मेप्रतिवादी सं० 3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

(6) आया विवादग्रस्त भूमि पर वादी का बतौर अतिक्रमी कब्जा होने से वह एडवर्स पंजेशन के सिद्धांत पर खातेदार घोषित होने का कानूनी अधिकारी नही है।

.....जिम्मेप्रतिवादी सं० 3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

(7) आया वादी का वाद सत्य व खारिज किये

.....जिम्मेप्रतिवादी सं० 3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

(8) अनुतोष / दादरसी !

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 बंशी पुत्र लादू, जाति अहीर, निवासी ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

2. PW2 हनुमान पुत्र लक्ष्मण जाति अहीर, निवासी ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3. PW3 अर्जुन पुत्र नंदा, जाति अहीर, ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिलिपि जमाबंदी मौजा प्रदर्श–1, मिसल बंदोबस्त प्रदर्श 2, खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 3, खसरा जमा निर्धारण प्रदर्श 4, खसरा निर्धारण नकल प्रदर्श 5, खसरा निर्धारण प्रदर्श 6, जमाबंदी खतौनी खपरिया प्रदर्श 7 वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये।

हमने विद्वान वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है।

(1) आया मौजा ग्राम खपरिया तह० आमेर के खसरा नं0 218 रकबा 65 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादीके पुश्तैनी कब्जा काश्त की होकर उसमें वादी का 1/3 हिस्सा अर्थात् 21 बीघा 18 बिस्वा पर लगातार संवत 1993 से आदिनांक तक काबिज होकर विधिवत रूप से लगान अदा कर रहे है।

.....जिम्मेवादी

(2) आया विवादग्रस्त आराजीयात को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से चरागाह दर्ज किया गया जिसे दुरूस्त करवाने तथा खातेदारी घोषित करवाने का वादी कानूनी अधिकारी है।

.....जिम्मेवादी

(3) आया वादी एडवर्स पंजेशन के आधार पर विवादित भूमि को खातेदारी भूमि घोषित कराने का अधिकारी है।

.....जिम्मेवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:12 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 1 लगायत 3 एकसाथ निर्णित की जा रही है। संवत 1993 लगायत 2002 रजिस्टर चकबंदी निजामत के अनुसार सेडू वल्द नंदा जाति अहीर सा. देह खसरा नंबर 194/2, 195/2, 196/1 68 बीघा 18 बिस्वा के हिस्से 1/3 के चकदार के रूप में दर्ज है परन्तु वादी ने अपने वाद मे ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि वादी सेडू वल्द नंदा का पौत्र हो तथा वादी के दादा निजामत के समय सरकारी लगान इस भूमि बाबत ही जमा कराते आ रहे हो तथा लगातार

सहायक कलक्टर आमेर

काबिज रहे हो । इसकि अतिरिक्त वादी ने यह भी साबित नहीं किया की वादी प्रार्थी व वादी का चाचा, वादी के पिता व दादा की मृत्यु के पश्चात निर्बाध रूप से काबिज रह कर काश्त करते रहे हो। इस प्रकार वादी ने अपना कब्जा साबित नहीं किया है जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर RBJ 2002 Page 639 में प्रतिपादित किया है कि *Section 88- On the basis of entries in khasra girdawari plaintiff cannot be declared khatedar of disputed land- In this case plaintiff claimed khatedari rights on the basis of entries in khasra Girdawari. The khasra Girdawari is not a record of rights, therefore, on the basis of khasra Girdawari khatedari rights cannot be conferred. Further plaintiff could not prove his adverse possession.* यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वादी को निजामत के पश्चात सन् 1956 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू होने के कारण इसकी धारा 91 के अंतर्गत वादी को व उसके चाचा को अतिक्रमी मान कर बेदखल किया जाता रहा है। अर्थात उक्त भूमि के चरागाह के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही नियमानुसार ही की गई। इसके अतिरिक्त यदि वादी का *adverse possession* मान भी लिया जावे तो भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है तथा नया कानून प्रतिपादित करने की रेवेन्यू कोर्ट को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है जैसा कि *आर.आर.टी. 2011(2) पेज नम्बर 721, आर.आर.डी. 2011 पेज नम्बर 508, आर. आर.टी 2011(1) पेज नम्बर 315, आर.आर.टी. 2011(2) पेज नम्बर 834, आर.आर.टी.. 2014–15(supp) पेज नम्बर 664 में विस्तार रूप से निर्णय पारित किया गया है।* उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 1 लगायत 3 को वादी साबित करने में असमर्थ रहे है अतः तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

(4) आया वादी विवाद ग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी काबिज होने से इसके विरूद्ध राज लैण्ड रिवेन्यु एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई जिसे अमल में लाने हेतु प्रतिवादी सं० 3 तहसीलदार आमेर कानूनी रूप से अधिकृत है।

..........जिम्मेप्रतिवादी सं० 3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:12 IST
Reason: SelfAttested

(5) आया विवादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज है तथा चरागाह भूमि पर खातेदारी राजस्व नियमो के अन्तर्गत प्रदान नही की जा सकती है।

.......जिम्मेप्रतिवादी सं० 3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

(6) आया विवादग्रस्त भूमि पर वादी का बतौर अतिक्रमी कब्जा होने से वह एडवर्स पंजेशन के सिद्धांत पर खातेदार घोषित होने का कानूनी अधिकारी नही है।

..........जिम्मेप्रतिवादी सं० 3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

(7) आया वादी का वाद सत्य व खारिज किया नहीं।

........जिम्मेप्रतिवादी सं० 3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 4 लगायत 7 एकसाथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 1 लगायत 3 को साबित करने का भार वादी पर था परन्तु वादी तनकी संख्या 1 लगायत 3 साबित करने में असफल रहे है इसलिए तनकी संख्या 4 लगायत 7 स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर
सत्यमेव जयते

निर्णय

तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के विरूद्व निर्णित होने एवं तनकी संख्या 4 लगायत 7 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। तद्नुसार वाद वादी खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 382 / 2008

बंशीधर पुत्र लादू जाति अहीर, निवासी ग्राम खारिया तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत दुर्गा का बास, जरिये सचिव ग्राम पंचायत दुर्गा का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

<u>दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के विरूद्ध निर्णित होने एवं तनकी संख्या 4 लगायत 7 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 16.05.2025 को जारी किया ।

दस्तखत——

ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर